न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2025/43
मुकदमा नम्बर 13/2025 दायर दिनांक–18.01.2025

बनवारी पुत्र भोलाराम जाति माली निवासी जोहड की ढाणी तन ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं

...........आवेदकगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र हीरालाल जाति मेघवाल निवासी छोटा बस स्टेण्ड के पास, जोखीराम जी के कुये के पास, मण्डी गेट, नवलगढ़, तहसील नवलगढ जिला झुझुनू
2. मोहनलाल पुत्र भोलाराम जाति माली निवासी जोहड की ढाणी तन ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
3. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

..........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक–श्री चन्द्रकान्त शर्मा
अनावेदक सं. 1 – श्री अनुराग बेराडिया
अनावेदक सं. 2 :– एक पक्षीय
अनावेदक सं. 3 – पैरो. राज.

:–निर्णय–:

दिनांकः–12/09/2025

यह प्रा0 पत्र आवेदकगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम जोहड की ढाणी पटवार हल्का ढाणियां नवलगढ तहसील नवलगढ की तन में खाता सं. नया 121 खसरा नं. 632/274 रकबा 0.42 है0 जिसका खातेदार काश्तकार आवेदक है में, आने जाने के लिये, अनावेदक सं. 1 की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 115 खसरा नं. 273 रकबा 2.30 है0 तथा अनावेदक सं. 2 की खातेदारी भूमि खाता सं. 183 खसरा नं. 628/274 रकबा 0.42 है0 में खसरा नं. 273 तथा 628/274 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे बीदसर सडक से प्रार्थी के खेत तक मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार 14 फीट रास्ता दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

प्रा. पत्र में तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 1 की और से वकील श्री अनुराग बेराडिया उपस्थित हो प्रकरण मे कोई जवाब पेश नही करना कथन किया। अनावेदक सं. 2 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 3 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक/240 दिनांक 22.04.2025 पेश की गई, जिसके अनुसार आवेदक को रास्ते की परमआवश्यक्ता है। आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये रास्ते का अन्य कोई विकल्प नही है। आवेदक को अपनी कृषि जोत खसरा नं. 632/274 रकबा 0.42 है0 मे आने जाने के लिये ख.नं. 273 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दू सं. ए से बी 200 मीटर एंव ख.नं. 628/274 मे बिन्दू सं. बी से सी की दूरी 15 मीटर है। आवेदक ने 14 फीट रास्ते की मांग की है अतः बिन्दू सं. ए से बी 200 X 4.27 मीटर = 854 वर्ग मीटर व बिन्दू सं. बी से सी की दूरी 15 X 4.27 मीटर = 64 वर्ग मीटर बनती है। इस प्रकार से रास्ते मे जाने वाला कुल क्षेत्रफल 854 + 64 मीटर = 918 वर्ग मीटर बनता है।

उभय पक्ष द्वारा बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये रास्ते का अन्य कोई विकल्प नही है तथा अपनी कृषि जोत मे आने जाने के लिये रास्ते की परमआवश्यक्ता है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे निकटतम व लघुतम है जाहिर होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जोहड की ढाणी पटवार हल्का ढाणियां नवलगढ तहसील नवलगढ की तन में खाता सं. नया 121 खसरा नं. 632/274 रकबा 0.42 है0 जिसका खातेदार काश्तकार आवेदक है मे, आने जाने के लिये, अनावेदक सं. 1 की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 115 खसरा नं. 273 रकबा 2.30 है0 तथा अनावेदक सं. 2 की खातेदारी भूमि खाता सं. 183 खसरा नं. 628/274 रकबा 0.42 है0 में खसरा नं. 273 तथा 628/274 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे बीदसर सडक से प्रार्थी के खेत तक मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक/240 दिनांक 22.04.2025 अनुसार खसरा नं. 632/274 रकबा 0.42 है0 मे आने जाने के लिये ख.नं. 273 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दू सं. ए से बी 200 मीटर एंव ख.नं. 628/274 मे बिन्दू सं. बी से सी की दूरी 15 मीटर है। आवेदक ने 14 फीट रास्ते की मांग की है अतः बिन्दू सं. ए से बी 200 X 4.27 मीटर = 854 वर्ग मीटर व बिन्दू सं. बी से सी की दूरी 15 X 4.27 मीटर = 64 वर्ग मीटर बनती है, रास्ते मे जाने वाला कुल क्षेत्रफल 854 + 64 मीटर = 918 वर्ग मीटर गै.मु. सिवायचक रास्ता मौके पर कायम किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। ख.नं. 628/274 व 273 के खातेदार काश्तकारों को रास्ते से प्रभावित भूमि के लिये, डीएलसी दर की दोगुनी राशि उनके हिस्से अनुसार आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

जावें। सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/240 दिनांक 22.04.2025 तथा उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश मौके पर रास्ता कायम करवाया जाकर, राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर दिया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12/09/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुझुंनू